



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कोटा जिले में आपदा प्रबंधन योजनाएं

डा. अंजना कुमारी

म.न. 423 न्यू राजीव गांधी नगर,

कामर्स कालेज के पीछे, कोटा राजस्थान

उद्देश्य: जिले में आपदाओं के खतरों के प्रभाव आदि का विश्लेषण करना। पूर्व घटित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं, विवरण, अनुभव के आधार पर भविष्य में उनके निराकरण के प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। जिले में आपदाओं के आंकलन और उनके निराकरण के लिए संचालित योजनाओं का विवेचन करना भी लक्ष्य है।

आपदा का अर्थ है ऐसी प्राकृतिक या मानवजनित घटना जिसके कारण व्यापक रूप में मानव क्षति होती है। यह सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित कर देती है। राजस्थान में विगत 50 (1950.2000) वर्षों में मात्र छह वर्ष ही ऐसे रहे हैं जब अकाल की स्थिति नहीं रही हो। राज्य का कोई न कोई जिला अकालग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965-69, 1979-82, 1984-87, 1991-92 व 1999-2000 में भी पड़ता रहा है। पिछले दो दशकों में मात्र 1983-84, 1992-93, 1995-96, 1997-98 व 2008-2013 वर्षों में ही लगभग सूखा व अकाल नहीं पड़ा है। राज्य में अकाल की बढ़ती निरन्तरता चिंता का विषय बनती जा रही है। वहीं राज्य के कोटा जिले में मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ने लगा है। कोटा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के

मध्य स्थित है। इसका ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है। दो पर्वत श्रेणियों की श्रंखला है, जिले में मुकन्दरा श्रेणी स्थित है। जिले में बारहमासी नदी चम्बल है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से है और यह मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बहती है। उत्तरप्रदेश में 32 किलोमीटर के बाद यह इटावा शहर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। संभाग में चंबल के अतिरिक्त कई छोटी-बड़ी नदियां हैं। वर्षा ऋतु के समय इनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। भारी वर्षा के कारण नदी के तटीय क्षेत्र व निचले इलाकों में पानी भर जाता है जिसके कारण जन-धन की हानि होने की संभावना प्रबल रहती है।

रानपुर और लखावा तालाबों की स्थिति अच्छी न होने के कारण वर्षा ऋतु में इनमें से रिसाव होने के कारण टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ किसी नदी प्रवाह के मार्ग में क्षमता से अधिक जल प्रवाह की स्थिति होती है, जो नदी के तटबन्धों के ऊपर से होकर संयोजित भू-भाग पर फैल जाता है, इस प्रकार बाढ़ नदी प्रवाह की सामान्य दशाओं का ही भाग है। बाढ़ की स्थिति में नदी में सामान्य प्रवाह क्षमता से अधिक जल आ जाता है तथा उस भूमि पर फैल जाता है जहाँ सामान्य जल की धारा नहीं पहुंचती है। बाढ़ विभिन्न भू-भागों में भिन्न-भिन्न कारणों से आती है।

प्राकृतिक बहाव में अवरोध के कारण कोटा शहर में 8 अगस्त 1981 को एवं 29 जुलाई 1986 को तलवण्डी, विज्ञान नगर की नीचली बस्तियों में एवं 4-5 सितम्बर 1986 एवं जुलाई 1986 को विज्ञान नगर, तलवण्डी, दादाबाड़ी, संजय नगर, साजीदेहड़ा, रामचन्द्रपुरा आदि की निचली बस्तियों में तीन से दस फीट तक पानी भर गया एवं जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त उपलब्ध करायी सहायता के फलस्वरूप कई बस्तियों को निकालकर अस्थायी शिविरों में भेजा गया। वर्ष 1986 में बाढ़ की विभिषिका से कई बस्तियों के जाने भी गईं। वर्ष 1991 व 1992 में कुछ निचली बस्तियों में पानी आया, परन्तु पुनः 1994 एवं 27 अगस्त 1995 वर्ष 2000 में बाढ़ के निशान के चिह्निकरण किये गये हैं। अगस्त 1999 में शहर की उपरोक्त सभी निचली बस्तियों में पानी भर गया। वर्ष 2005 में भी कोटा में बाढ़ की वजह से कई बस्तियों जैसे- तलवण्डी,

जवाहर नगर, विज्ञान नगर, साजीदेहड़ा एवं अन्य को प्रभावित किया है। जिले में बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित क्षेत्रों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है-

प्रथम- निचले क्षेत्रों में बसे हुए गांव/अधिवास जो बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हैं।

द्वितीय- नदी व नालों में बाढ़ आने से प्रभावित क्षेत्र आते हैं।

कोटा जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र:

तालाबों व बांधों से प्रभावित गांवों की सूची निम्न है-

तालाब एवं बांध	प्रभावित गांवों का नाम
डाहरा	पोलाईकलां
खातीहेड़ा	नाजरिया खातीहेड़ा
चैमा	चैमा मालियान, नीबूं
रानपुर	अन्नतपुरा से डी.सी.एम. क्षेत्र
गिरधरपुरा	गिरधरपुरा
बोराबास	गुजरो की टापरियां
लखावा	लखावा, अन्नतपुरा व डी.सी.एम. क्षेत्र, रामपुरा, देवली
अरब	

सावन बाधोंसीमलियां, कनवास, कालोनी, कोलाना सावनबाधों आंवा, पीसाहेड़ा, देवली, ढोटी काढोन

निचले क्षेत्रों की सूची

तहसील/नगर निगम/नगर पालिका/कोटा नगर निगम (तहसील लाडपुरा)

निचले क्षेत्र

खण्ड गावड़ी, संजय नगर, बस स्टैण्ड के पास, हरिजन बस्ती नयापुरा, कालपुरा, रामचन्द्रपुरा (रेलवे लाईन के पास) केशवपुरा कच्ची बस्ती पार्ट-ए तथा पार्ट-बी, छावनी, गोविन्द नगर, इन्द्रा गांधी नगर, कन्सुआं, रायपुरा, सकतपुरा, बापू कालोनी, डडवाड़ा, बड़गांव, जे.पी. कालोनी, किशोरपुरा, आदर्श नगर, शिवपुरा, विज्ञान नगर, दोस्तपुरा ए और बी, रामनगर, अन्नतपुरा, प्रेमपुरा, कच्ची बस्ती, बजरंग नगर, थकड़ा, सूर्य नगर, राजीव गांधी नगर, गोबरिया बावड़ी, राकपाड़ा, छत्रपुरा, अकेलगढ़ के पास सुभाष बस्ती, गणेश नगर (हरिजन बस्ती), बालाकुण्ड, हनुमान कच्ची बस्ती, दादाबाड़ी, सुभाष नगर, अम्बेडकर कालोनी,

सांगोद नगरपालिका महात्मागांधी चैराहा हिंगी रोड़ कोड़ियो का चौक

कैथून नगरपालिका बस स्टैण्ड, गांधीपाल

इन आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन योजना में प्रत्येक विभाग द्वारा की गई पूर्व आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा नियोजित आपदा प्रबंधन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है।

बहु-अनुक्रिया योजना- जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। इस योजना में विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के सभी बिन्दुओं पर विचार कर निर्मित की गई है। इसमें सभी आपदाओं पर

व्यापक मनन किया गया है जिससे की सभी स्तरों पर आने वाली कठिनाईयों और मानव क्रियाकलापों को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सभी के कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, आपदा की स्थिति में ध्यान में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति आपदा की स्थिति को गंभीर बना सकती है अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है:-

- 1 प्रतिक्रिया ; त्मंबजपवदध्मेचवदेमद्ध कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना को तैयार करना।
- 2 विभागों की भागीदार जिम्मेदारी को निर्धारित करना।
- 3 विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण ; जंदकंतपेजपवदद्ध करना।
- 4 आपदा हेतु उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- 5 स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना निर्धारण करना।
- 6 सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय स्थापित करना।
- 7 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

कोटा जिले की संभावित आपदाओं और उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया है। इसमें संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गई थी। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

पाँच मुख्य आपदाएं निम्न हैं:-

- 1 सूखा
- 2 बाढ़
- 3 दुर्घटनाएं
- 4 आग
- 5 भूकम्प

इसके अतिरिक्त अन्य पांच आपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात सम्मिलित हैं। 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित सभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। उन्होंने गत वर्षों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर यह निर्धारित किया कि इन आपदाओं के लिए संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग न होने के कारण रहे हैं अतः राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं के बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गई है।

Key Words

- ¹ **आपदा** . किसी अनिष्ट घटना से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति जिसमें बड़ी हानि हो सकती हो
प्रबन्धन— किसी कार्य या बात का प्रबंध ,व्यवस्था, करने की क्रिया या भाव

बहु-अनुक्रिया— इसके अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूढने का प्रयत्न करता है।

Bibliography

1. Annual Report 2008-2009 , Central Water Commission, New Delhi
2. Annual Report 2008-2009 , Central Water Commission, Ministry of Water Resources, Govt. of India
3. Assessment and Development Study of River Basin Series , Central Pollution Control Board , Ministry of Environment and Forest , Govt. of India
4. Kota District statistical office brochure (2009), Government of Rajasthan India
5. जिला आपदा प्रबंधन योजना, वर्ष 2018, जिला कोटा, जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

कोटा जिले में आपदा प्रबंधन योजनाएं

डॉ. अंजना कुमारी

म.न. 423 न्यू राजीव गांधी नगर,

कॉमर्स कॉलेज के पीछे, कोटा राजस्थान

उद्देश्य : जिले में आपदाओं के खतरों के प्रभाव आदि का विश्लेषण करना। पूर्व घटित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं, विवरण, अनुभव के आधार पर भविष्य में उनके निराकरण के प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। जिले में आपदाओं के आंकलन और उनके निराकरण के लिए संचालित योजनाओं का विवेचन करना भी लक्ष्य है।

आपदा का अर्थ है ऐसी प्राकृतिक या मानवजनित घटना जिसके कारण व्यापक रूप में मानव क्षति होती है। यह सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित कर देती है। राजस्थान में विगत 50 (1950–2000) वर्षों में मात्र छह वर्ष ही ऐसे रहे हैं जब अकाल की स्थिति नहीं रही हो। राज्य का कोई न कोई जिला अकालग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 व 1999–2000 में भी पड़ता रहा है। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96, 1997–98 व 2008–2013 वर्षों में ही लगभग सूखा व अकाल नहीं पड़ा है। राज्य में अकाल की बढ़ती निरन्तरता चिंता का विषय बनती जा रही है। वहीं राज्य के कोटा जिले में मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ने लगा है। कोटा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित

है। इसका ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है। दो पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है, जिले में मुकन्दरा श्रेणो स्थित है। जिले में बारहमासी नदी चम्बल है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से है और यह मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बहती है। उत्तरप्रदेश में 32 किलोमीटर के बाद यह इटावा भाहर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। संभाग में चंबल के अतिरिक्त कई छोटी-बड़ी नदियां हैं। वर्षा ऋतु के समय इनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। भारी वर्षा के कारण नदी के तटीय क्षेत्र व निचले इलाकों में पानी भर जाता है जिसके कारण जन-धन की हानि होने की संभावना प्रबल रहती है।

रानपुर और लखावा तालाबों की स्थिति अच्छी न होने के कारण वर्षा ऋतु में इनमें से रिसाव होने के कारण टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ किसी नदी प्रवाह के मार्ग में क्षमता से अधिक जल प्रवाह को स्थिति होती है, जो नदी के तटबन्धों के ऊपर से होकर संयोजित भू-भाग पर फैल जाता है, इस प्रकार बाढ़ नदी प्रवाह की सामान्य दशाओं का ही भाग है। बाढ़ की स्थिति में नदी में सामान्य प्रवाह क्षमता से अधिक जल आ जाता है तथा उस भूमि पर फैल जाता है जहाँ सामान्य जल की धारा नहीं पहुंचती है। बाढ़ विभिन्न भू-भागों में भिन्न-भिन्न कारणों से आती है।

प्राकृतिक बहाव में अवरोध के कारण कोटा शहर में 8 अगस्त 1981 को एवं 29 जुलाई 1986 को तलवण्डी, विज्ञान नगर की निचली बस्तियों में एवं 4-5 सितम्बर 1986 एवं जुलाई 1986 को विज्ञान नगर, तलवण्डी, दादाबाड़ी संजय नगर, साजीदेहड़ा, रामचन्द्रपुरा आदि की निचली बस्तियों में तीन से दस फीट तक पानी भर गया एवं जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त उपलब्ध करायी सहायता के फलस्वरूप कई बस्तियों को निकालकर अस्थायी ठाण्डियों में भेजा गया। वर्ष 1986 में बाढ़ की विभिन्निका से कई बस्तियों के जाने भी गईं। वर्ष 1991 व 1992 में कुछ निचली बस्तियों में पानी आया, परन्तु पुनः 1994 एवं 27 अगस्त 1995, वर्ष 2000 में बाढ़ के निशान के चिन्हिकरण किये गये हैं। अगस्त 1999 में शहर की उपरोक्त सभी निचली बस्तियों में पानी भर गया। वर्ष 2005 में भी कोटा में बाढ़ की वजह से कई बस्तियों जैसे- तलवण्डो, जवाहर नगर, विज्ञान नगर, साजीदेहड़ा एवं अन्य को प्रभावित किया है। जिले में बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित क्षेत्रों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है-

प्रथम- निचले क्षेत्रों में बसे हुए गांव/अधिवास जो बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हैं।

द्वितीय- नदी व नालों में बाढ़ आने से प्रभावित क्षेत्र आते हैं।

कोटा जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र:

तालाबों व बांधों से प्रभावित गांवां की सूची निम्न है—

तालाब एवं बांध	प्रभावित गांवों का नाम
डाहरा	पोलाईकलां
खातीहेड़ा	नाजरिया, खातीहेड़ा
चौमा	चौमा मालियान, नीबूं
रानपुर	अन्नतपुरा से डी.सी.एम. क्षेत्र
गिरधरपुरा	गिरधरपुरा
बोराबास	गुजरों की टापरियां
लखावा	लखावा, अन्नतपुरा व डी.सी.एम. क्षेत्र, रामपुरा, देवली अरब
सावन बाधों	सीमलियां, कनवास, कॉलोनी, कोलाना, सावनबाधों आंवा, पीसाहेड़ा, देवली, ढोटी काढोन

निचले क्षेत्रों की सूची

तहसील/नगर निगम/नगर पालिका/कोटा नगर निगम(तहसील लाडपुरा)

निचले क्षेत्र

खण्ड गावड़ी, संजय नगर, बस स्टैण्ड के पास, हरिजन बस्ती नयापुरा, कालपुरा, रामचन्द्रपुरा(रेलवे लाईन के पास) केशवपुरा कच्ची बस्ती पार्ट-ए तथा पार्ट-बी, छावनी, गोविन्द नगर, इन्द्रा गांधी नगर, कन्सुआं, रायपुरा, सकतपुरा, बापू कॉलोनी, डडवाड़ा, बड़गांव, जे.पी. कॉलोनी, कि'गोरपुरा, आदर्श नगर, िवपुरा, विज्ञान नगर, दोस्तपुरा ए और बी, रामनगर, अन्नतपुरा, प्रेमपुरा, कच्ची बस्ती, बजरंग नगर, थेकड़ा, सूर्य नगर, राजीव गांधी नगर, गोबरिया बावड़ी, राकपाड़ा, छत्रपुरा, अकेलगढ़ के पास सुभाष बस्ती, गणेश नगर(हरिजन बस्ती), बालाकुण्ड, हनुमान कच्ची बस्ती, दादाबाड़ी, सुभाष नगर, अम्बेडकर कॉलोनी,

सांगोद नगरपालिका महात्मागांधी चौराहा हिंगी रोड़ कोड़ियो का चौक

कैथून नगरपालिका बस स्टैण्ड, गांधीपाल

इन आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन योजना में प्रत्येक विभाग द्वारा की गई पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा नियोजित आपदा प्रबंधन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है।

बहु-अनुक्रिया योजना— जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाँचे की रूपरेखा निश्चित करता है। इस योजना में विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के सभी बिन्दुओं पर विचार कर निर्मित की गई है। इसमें सभी आपदाओं पर व्यापक मनन किया गया है जिससे की सभी स्तरों पर आने वाली कठिनाईयों और मानव क्रियाकलापों को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सभी के कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, आपदा की स्थिति में ध्यान में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति आपदा की स्थिति को गंभीर बना सकती है अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया त्मबजपवदध्मेचवदेमद्ध कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना को तैयार करना।
2. विभागों की भागीदार जिम्मेदारी को निर्धारित करना।
3. विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण जंदकंतपेजपवदद्ध करना।
4. आपदा हेतु उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना निर्धारण करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

कोटा जिले की संभावित आपदाओं और उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया है। इसमें संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गई थी। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

पाँच मुख्य आपदाएं निम्न हैं :-

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं
4. आग
5. भूकम्प

इसके अतिरिक्त अन्य पांच आपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात सम्मिलित हैं। 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित सभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। उन्होंने गत वर्षों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा तीन साल क सूखे के अनुभवों के आधार पर यह निर्धारित किया कि इन आपदाओं के लिए संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग न होने के कारण रहे हैं अतः राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं के बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गई है।

Bibliography

6. Annual Report 2008-2009 , Central Water Commission, New Delhi
7. Annual Report 2008-2009 , Central Water Commission, Ministry of Water Resources, Govt. of India
8. Assessment and Development Study of River Basin Series , Central Pollution Control Board , Ministry of Environment and Forest , Govt. of India
9. Kota District statistical office brochure (2009), Government of Rajasthan India
10. जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं वर्ष 2018, जिला कोटा, जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण